ई-मेल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

संख्या पी-87/ /36-टी-77, लखनऊ:दिनांक: 13 फरवरी ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,
कानपुर।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास योजना के अन्तर्गत रू0 728.40 लाख की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: शासकीय पत्र सं0-194/चौदह-4-2017-526/2016, दिनांक 08-02-2017 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित शासकीय पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन ने वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान सं0-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास योजना हेतु रू0 728.40 लाख की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी कर दी है। उक्त पुनर्विनियोग शासकीय पत्र संख्या-194ए/14-4-2017 दिनांक 02-02-2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2- अत: शासन द्वारा उक्त प्रकार पुनर्वियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 728.40 लाख का आवंटन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र सं0-1624/7-4(लायन सफारी) दिनांक 05-12-2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आपके अधीनस्थ निदेशक, इटावा सफारी पार्क, इटावा के उपयोग हेतु निम्न प्रकार किया जाता है:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रूपयें में)
अनुदान संख्या-60	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
06-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास-	
24-वृहत निर्माण कार्य	72840000
योग-	72840000

3– उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र सं0-1624/7-4(लायन सफारी) दिनांक 05-12-2016 द्वारा प्रस्तावित कार्यमदों पर ही नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वंय में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनर्त्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश सं0- सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश सं0- सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

—2.

5- योजनान्तर्गत कराये जाने वालें समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगणन के अनुसार कराये जायेगें तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत के अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

6- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुये समस्त वैधानिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथावश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

8- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

9- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाये तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहें है तथा इसकी रिपोर्ट शासन एवं इस कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

11- उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का स्थलवार विवरण, व्यय व नपत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना आयोजनागत पक्ष की अन्य सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की वित्तीय प्रगति प्रपत्र बी0एम0-13 में भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक:यथोपर

भवदीय,

(ए0के0 द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-87/ (1)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्रों की छायाप्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि रू0 728.40 लाख की साख-सीमा निदेशक, इटावा सफारी पार्क, इटावा के पक्ष में जारी करने की कृपा करें।

संलग्नक:यथोपरि

(ए0के0 द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- (II)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्रों की छायाप्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5- निदेशक, इटावा सफारी पार्क, इटावा।
6- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
7- अभिसूचना सेल, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।

संलग्नक:यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-871 (III)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-194/चौदह-4-2017-526/2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 08 फरवरी: 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा में "बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास" योजना के अन्तर्गत रू0 728.40 लाख की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या पी-613/36-टी-77, दिनांक 07-12-2016 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 मे निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्य–60- आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना के पूंजी लेखा के मानक मद-24 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 134.66 लाख व रू0 10.74 लाख, ईको पर्यटन का विकास योजना के पूंजी लेखा के मानकमद 24, 25 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 24.33 लाख, रू0 19.72 लाख व रू0 45.15 लाख, दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास योजना के पूंजी लेखा के मानक मद-24 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 394.62 लाख व रू0 30.00 लाख तथा वेटलैण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास योजना के पूंजी लेखा के मानक मद-24 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 59.88 लाख व रू0 9.30 लाख अर्थात कुल रू0 728.40 लाख पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-194ए/14-4-2017, दिनांक 02-02-2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 728.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति जो निम्न लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित है, को पुनर्विनियोजन के पश्चात व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
1	2
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव-	
110-वन्य जीव-	
06- जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन के न्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास-	
24-वृहत निर्माण कार्य	72840000
योग:-	72840000

(रू0 सात करोड अट्ठाइस लाख चालीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मित्व्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगणन के अनुसार कराये जायेगें तथा समस्त वैधानिक अनुमति सम्बन्धित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

3- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

5- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे है तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराई जायेगी।

8- उपर्युक्त धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या पी-613/36-टी-77, दिनांक 07.12.2016 के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1624/7-4(लायन सफारी), दिनांक 05.12.2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाय।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

10-जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जा सकेगी तथा उसका सदपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जा सकेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-23(A)/दस2017, दिनांक 12 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(मो0 जुनैद)
संयुक्त सचिव

संख्या-194(1)/चौदह-4-2017-526/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) चतुर्थ तल हाल नं0-2, आडिट भवन टी0सी0 35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8- नियोजन अनुभाग-3
9- अनुभागीय ओदश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनैद)
संयुक्त सचिव

प्रपत्र बी0एम0–9 (भाग–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नामः–60–वन विभाग–आयोजनागत

वित्तीय वर्षः–2016–17
(रु0 हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूंजी लेखा–						पूंजी लेखा–					
4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय–						4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय–					
01–वानिकी–						02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव–					
102–सामाज तथा फार्म वानिकी–						110–वन्य जीव–					
16–राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी0सी0एस0 प्रणाली)–						06–जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास					
24–वृहत निर्माण कार्य	96347	29090	13466	13466	82881	24–वृहत निर्माण कार्य	1200000	1272840	72840	72840	1272840
42–अन्य व्यय	24607	1074	1074	1074	23533						
800–अन्य व्यय–											
12–ईको पर्यटन का विकास–											
24–वृहत निर्माण कार्य	23562	2433	2433	2433	21129						
25–लघु निर्माण काय	2000	1972	1972	1972	28						
42–अन्य व्यय	7000	4515	4515	4515	2485						
02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव–											
110–वन्य जीव–											
12–दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास–											
24–वृहत निर्माण कार्य	95000	39462	39462	39462	55538						
42–अन्य व्यय	5000	3000	3000	3000	2000						
19–वेटलैण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास–											
24–वृहत निर्माण कार्य	19000	8091	5988	5988	13012						
42–अन्य व्यय	1000	930	930	930	70						
योग–पूंजी लेखा	273516	90567	72840	72340	200676	योग–पूंजी लेखा	1200000	1272840	72840	72840	1272840

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः–

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजनान्तर्गत मानकमद–24 व 42 में, ईको पर्यटन का विकास योजनान्तर्गत मानकमद–24, 25 व 42 में , दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास योजनान्तर्गत मानकमद–24 व 42 में तथा वेटलैण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास योजनान्तर्गत मानकमद–24 व 42 में बचत हो रही है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः–

जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास योजनान्तर्गत मानकमद– 24 में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(मो0 जुनैद)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव विभाग

C:\Users\USER\Downloads\04.01.2017 Lion Safari (1).xls

संख्या:आर ई: 354/ई- – /दस-20 4/ दिनांक: 2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
वित्त विभाग।

संख्या- 194 ए/14-4-2017 दिनांक। 02.02.2017

1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
3–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
4–निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6–वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ(दो प्रतियों में).

(मो0 जुनैद)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन
वन एवं वन्य जीव विभाग